न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः–डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्याः– 541/2025

श्री तरूण टेलर पुत्र बाबूदास, निवासी गांधी चौक, चिडावा, मो0नं0 7891787934

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं।

––

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

––

आदेश

दिनांक 12.01.2026

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 16.12.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 541/2025 पर दिनांक 16.12.2025 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2025/5374–5375 दिनांक 16.12.2025 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/2025/3 दिनांक 09.01.2026 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी श्री तरूण टेलर पुत्र बाबूदास, निवासी गांधी चौक, चिडावा, जिला झुंझुनूं का आवेदन पत्र इस कार्यालय मे प्राप्त हुआ है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे इस कार्यालय के पत्र कमांक एफ 16(4)(5) न्याय/सू0अ0/2025/378 दिनांक 09.12.2025 के द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, अ0वि0वि0नि0लि0, झुंझुनूं को नियमानुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र लिखा गया है। उक्त कम मे अधीक्षण अभियन्ता, अ0वि0वि0नि0लि0, झुंझुनूं के पत्र कमांक 915 दिनांक 29.12.2025 के द्वारा अपीलार्थी को सूचित कर सूचना शुल्क जमा करवाये जाने हेतु पत्र लिखा गया है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित। अपीलार्थी ने सूचना नही मिलना जाहिर किया।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/2025/3 दिनांक 09.01.2026 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी श्री तरूण टेलर पुत्र बाबूदास, निवासी गांधी चौक, चिडावा, जिला झुंझुनूं का आवेदन पत्र उनके कार्यालय मे प्राप्त हुआ है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे उनके कार्यालय के पत्र कमांक एफ 16(4)(5) न्याय/सू0अ0/2025/378 दिनांक 09.12.2025 के द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, अ0वि0वि0नि0लि0, झुंझुनूं को नियमानुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र लिखा गया है। उक्त कम मे अधीक्षण अभियन्ता, अ0वि0वि0नि0लि0, झुंझुनूं के पत्र कमांक 915 दिनांक 29.12.2025 के द्वारा अपीलार्थी को सूचित कर सूचना शुल्क जमा करवाये जाने हेतु पत्र लिखा गया है। चूंकि प्रार्थी द्वारा सूचना के संबंध मे शुल्क जमा करवाया गया है जिसके संबंध मे अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 12.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं